न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 19/2024 GCMS NO 2024/44

रामकिशन पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी मीनापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. दिनेश
2. मनीष पुत्रान रामसहाय जातियान बैरवा निवासीयान मीनापुरा तहसील सपोटरा
3. ममता पुत्री रामसहाय पत्नि हंसराज जाति बैरवा ग्राम पूठन तहसील सपोटरा
4. अनीता पुत्र रामसहाय पत्नि जगमोहन जाति बैरवा ग्राम पूठन तहसील सपोटरा
5. सीमा पुत्री रामसहाय जाति बैरवा निवासी मीनापुरा तहसील सपोटरा
6. मु0 जगनी बेवा रामसहाय जाति बैरवा निवासी मीनापुरा तहसील सपोटरा
7. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सपोटरा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 66/12 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 26.6.19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री महेश अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 18.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 26.9.19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 के पिता एवं पति रामसहाय द्वारा वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 224 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 226 रकबा 6 विस्वा, 227 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा , 225 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम मीणापुरा तहसील सपोटरा जिसमे वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात का आज तक वादी एवं प्रतिवादी के मध्य वैधानिक तकासमा नही हुआ है। जिससे आये दिन सीमाज्ञान कराने के समय एवं फसल की मेडबंदी को लेकर विवाद पैदा होता रहता है। प्रतिवादीगण थोक बंद व्यक्ति है जो आये दिन लठठ के जौर पर वादी की भूमि को बिना अधिकार के अतिकमण करने के उद्वेश्य से वादी को नुकसान पहुँचाने की फिराक मे है। इस कारण वाद पत्र पेश कर विवादित आराजीयात का वैधानिक तकासमा सेपरेट खातेदारी मिन व वाईज दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक कब्जा इन्द्राज करावे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की भूमि पर शांति पूर्वक फसल काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 के पिता एवं पति द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0न0 224 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 226 रकबा 6 विस्वा, 227 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा , 225 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम मीणापुरा तहसील सपोटरा मे स्थित है। जिसका इन्द्राजं खातेदारी कागजात सरकार लैण्ड रिकार्ड रेवेन्यू मे रामकिशन व रामसहाय पुत्रान नाथूलाल बैरवा के नाम संयुक्त खातेदारी हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज रहा है। उक्त भूमि मुतदाविया अपील को रामसहाय ने अपीलांट को दिनांक 8.4.2004 को वहिस्सा 1/2 को वय कर दी और प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि पर कब्जा करा दिया और सम्पूर्ण भूमि मुतदाविया अपील पर तन्हा अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान मे भी अपीलांट द्वारा भूमि काश्त की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 ने अपना दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि मे मेरा 1/2 हिस्सा है और 1/2 हिस्सा रामकिशन का है और भूमि का तकासमा व हिस्से अनुसार किया जाकर पाबंद फरमाया जावे। अपीलांट ने अपना काउन्टर क्लेम व जबाब दावा पेश किया व दर्शाया है कि भूमि मुतदाविया अपील वहिस्सा 1/2 को रामसहाय वय कर चुका है और प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा अपीलांट को संभला दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जबाब दाव के आधार पर तनकीयात कायम की गई जिसमे तनकी संख्या 4 व 5 का तथा अन्य तनकी का विवेचन नही किया है। इसी प्रकार गवाह सबूत का विवेचन भी अधिनस्थ न्यायालय ने नही किया है ना ही तहसीलदार की रिपोर्ट को दर्शाया है। इस प्रकार निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का विधि अनुसार अध्ययन एवं मनन नही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। पत्रावली मे उपलब्ध बयान रामसहाय ने कब्जा अपीलांट का माना है व अदालत ने स्वीकार किया है कि भूमि मुतदाविया पर कब्जा अपीलांट का है व जगनी जो कि रामसहाय की पत्नि रही है उसने भी यह कहा कि उक्त भूमि पर हमारा कब्जा नही है बल्कि अपीलांट रामकिशन का है। पटवारी हल्का व गिरदावर ने भी भूमि पर कब्जा अपीलांट का माना है। इस प्रकार भूमि विर्विवाद है जिस पर अपीलांट तन्का कब्जा काश्त अपीलांट का है। कानूनन बिला कब्जे घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ नही दी जा सकती है। विवादित आराजीयात से रेस्पो0 का किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता नही है ना ही कभी रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज करने मे अहम भूल की है। भूमि पर अपीलांट का कब्जा सिद्व होने के कारण अपीलांट को घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ देनी चाहिए थी। जो नही देकर काउन्टर क्लेम खरिज करने मे अहम भूल की है। जबकि अपीलांट खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। क्योकि अपीलांट का निर्विवाद रूप से कब्जा साबित है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलीय आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आया कि विवादित आराजीयात ख0न0 224 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 226 रकबा 6 विस्वा, 227 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 225 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम मीणापुरा तहसील सपोटरा जिसमे वादी एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2065–68 ग्राम मीणापुरा पटवार हल्का खेडला तहसील सपोटरा से स्थित है। वादी/रेस्पो0 द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात का बयनामा दिनांक 8.4.2004 को वहिस्सा 1/2 को अपीलांट को 100/–रूपये के स्टाम्प पर विक्रय की गई है। पत्रावली मे उपलब्ध स्टाम्प अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। जिसका कानूनन कोई महत्व नही है। चूकि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात दर्ज है। जिसका विधिवत बंटवारा कराने पर ही राजस्व रिकार्ड मे पृथक पृथक खाते कायम होगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजी होने के कारण तहसीलदार सपोटरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा किया जाकर बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस जिसमे प्रत्येक का हिस्सा पृथक पृथक रंग सें दर्शाते हुए चाही जाकर वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया गया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिस्से अनुसार प्राथमिक डिकी नही बनाई गई जिससे पक्षकारान का हिस्सा पृथक पृथक दर्शित हो सके। साथ ही प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क.उन्टर क्लेम को किस आधार पर खारिज किया गया है इसका भी उल्लेख अपने निर्णय मे नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। जो निरस्त योग्य है तथा करण अधिनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात की हिस्से अनुसार उभयपक्ष की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार करवाई जाकर प्राप्त बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 66/12 मे पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 26.6.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार सपोटरा से विवादित आराजीयात की हिस्से अनुसार उभयपक्ष की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार करवाई जाकर बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 05.05.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner